23

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 3667-दो/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 30-8-2013- पारित द्वारा - तहसीलदार मेहर जिला सतना - प्रकरण क्रमांक 7 अ-12/2012-13

रामस्वरूप पुत्र स्व. छेटेलाल मौर्य
ग्राम वेला खास तहसील मेहर जिला सतना ---आवेदक

विरूद्ध

1- सरपंच ग्राम पंचायत बरही तहसील मेहर
2- राधेश्याम पुत्र दादूराम ग्राम वेला खास
तहसील मेहर जिला सतना मध्य प्रदेश
3- म.प्र.शासन

---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री विवेक शर्मा)
(अनावेदक-2 के अभिभाषक श्री वृजेन्द्र सिंह सिंह)

आ दे श

(आज दिनांक 11 - 01 -2018 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार मेहर जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 7 अ-12/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 30-8-2013 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि सरपंच ग्राम पंचायत बरही विकाखंड मेहर ने तहसीलदार मेहर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की कि ग्रामसभा में प्रस्ताव क्रमांक 30 के अनुसार ग्राम ओइला खास की आबादी भूमि क्रमांक

211 (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) का सीमांकन किया जाय। तहसीलदार मेहर ने प्रकरण कमांक 7 अ–12/2012–13 पॅजीबद्व किया तथा दिनांक 19–6–13 को सीमांकन कराये जाने हेतु सूचना जारी की। दिनांक 19–6–2013 को सीमांकन में कठिनाई आने से राजस्व निरीक्षक मेहर व्दारा दिनांक 30–6–2013 को सीमांकन कराया गया, जिस पर आवेदक ने आपत्ति प्रस्तुत की। तहसीलदार मेहर ने पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 30–8–2013 पारित किया तथा सीमांकन दिनांक 30–6–13 को अंतिमता प्रदान की। तहसीलदार मेहर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक एंव अनावेदक कमांक 2 के अभिभाषक के तर्क सुने अनावेदक कमांक–1 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है। उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि आवेदक ने तहसीलदार के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई है कि पटवारी के पास उपलब्ध चालू नक्शा संदिग्ध है इसलिये बंदोवस्त की नक्शा शीट पर से सीमांकन कराया जाय, किन्तु हलका पटवारी ने चालू नक्शा से अनुचित नाप के आधार पर सीमांकन किया है और आवेदक के स्वत्व व कब्जा की भूमि कमांक 201 रकबा 0.63 है. के अंदर आराजी नंबर 211 का रकबा गलत ढंग से निकाला है । तहसीलदार के समक्ष आवेदक ने आपत्ति प्रस्तुत की थी जिस राधेश्याम को भूमि नापकर लाभ पहुंचाया गया है उसका व्यवहार वाद एंव द्वित्तीय अपर जिला न्यायालय मेहर के समक्ष प्रस्तुत खारिज हुई है जिसके आधार पर सीमांकन कार्यवाही अनुचित की गई है परन्तु तहसीलदार ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने सीमांकन कार्यवाही को अनुचित होना बताते हुये तहसीलदार के आदेश दिनांक 30–8–13 को निरस्त करने की प्रार्थना की।

अनावेदक क–2 के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि जब एक वार सीमांकन का सही परिमाप नहीं आया तब आवेदक की आपत्ति के कारण दिनांक 30–6–2013 को राजस्व निरीक्षक के मार्गदर्शन में दुवारा सीमांकन हुआ है जिसके कारण सीमांकन सही है। उन्होंने निगरानी निरस्त करने की प्रार्थना की।

5/ विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि वादग्रस्त भूमि के सीमांकन उपरांत पटवारी हलका नंबर 166 ने सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 9–6–2013 प्रस्तुत किया है , जिसके प्रथम पृष्ठ का अंश उद्धरण इस प्रकार है :–

'' ग्राम बैलारखास की आ.नं. 211 रकबा 0.676 है. म0प्र0शासन आबादी भूमि का सीमांकन सरहदी कृषकों की उपस्थिति में पूर्व सूचना अनुसार एंव ग्राम पंचायत सरपंच सचिव की उपस्थिति में दिनांक 19–6–13 को आ.क्र. 340 रेल्वे सड़क को एंव आ.नं. 29 में स्थित बंदोवस्ती कुआ को आधार बिन्दु मानकर पटवारी चालू नक्शा 75 फिट की जरीव, गोनिया की सहायता से आवेदित भूमि का सीमांकन किया किन्तु मौका मिलान न होने से सीमांकन कार्य बंद कर दिया गया। श्रीमान राजस्व निरीक्षक महोदय मैहर के निर्देशानुसार दिनांक 30–6–2013 को पुनः आ.नं. 76 सड़क सतना, मैहर म.प्र. शासन रोड को बिन्दु मानकर सीमांकन किया जिसमें आ.नं. 200, 201 की सीमा निकाली गई तथा सीमा निकालने के वाद पूर्व की ओर से 28 कड़ी व उत्तर दक्षिण 80 कड़ी गॉव की रास्ता तक आवादी भूमि पाई गई। ''

स्पष्ट है कि सीमांकन कार्य राजस्व निरीक्षक के मार्गदर्शन में एंव सरपंच, सचिव एंव ग्रामवासियों की उपस्थिति में किया गया है जिसमें किसी प्रकार की त्रृटि प्रतीत नहीं होती है। जहां तक सीमांकन से आवेदक की भूमि प्रभावित होने का प्रश्न है , यदि किये गये सीमांकन से आवेदक संतुष्ट नहीं है वह राजस्व निरीक्षक से वरिष्ठ अधीक्षक भू अभिलेख से स्वयं की भूमि का सीमांकन करा सकता है, जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार मेहर जिला सतना द्वारा प्रकरण क्रमांक 7 अ–12/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 30–8–2013 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर